तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.121/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
04.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) साजिद अली पुत्र हबीब भाई, विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म होटल कबीर, एन.एच. 62, राजपुरा, तहसील व जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (मेहरअली नूरमोहम्मद कोजर, विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स अमेनीटी ट्रेडर्स, Acuman Commercial Centre, Highway road, Sidhpur Patan (Gujrat)) तथा प्रतिवादी संख्या–3 (श्री गोहिल दिपक चन्दूभाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स Indo Brine Industries Ltd., Survey No. 282, Vill.-Chopadava, NH-8A, Ta.-Bhachau, Dist.-Kutch (Gujrat)) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.11.2022 को फर्म होटल कबीर, एन.एच. 62, राजपुरा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी साजिद अली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1924 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1991/Act/2022/1991 दिनांक 30.11.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में सुनवाई तिथि 29.11.2023 को प्रतिवादी संख्या– 1 व 3 क्रमशः साजिद अली व गोहिल दीपक चन्दूभाई ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (मेहरअली नूरमोहम्मद कोजर) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा जुर्म स्वीकार कर कर लिया जाने से दिनांक 29.11.2023 को ही प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को सुना गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने अनुरोध किया कि उसने खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) को प्रतिवादी संख्या–2 से क्रय किया था एवं इसके निर्माता प्रतिवादी संख्या–3 है, इसलिये उसे इस मुकदमें से मुक्त कि[illegible]वादी संख्या–3 ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथ[illegible]पराध है एवं उसने लेबल पर हुई त्रृटि को सुधार कर लिया है [illegible] मिथ्याछाप ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

न्याय. जिला परिषद्
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.121/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	खाद्य पदार्थ विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.11.2022 को प्रतिवादी साजिद अली पुत्र हबीब अली, जाति– मुसलमान, हाल निवासी– होटल कबीर, एन.एच. 62, राजपुरा, तहसील व जिला– सिरोही की फर्म मैसर्स होटल कबीर, एन.एच. 62, राजपुरा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी साजिद अली से खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1991/Act/2022/1991 दिनांक 30.11.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेट लेबल पर Expiry/Use By की तिथि/अवधि अंकित नही होने से मिथ्याछाप माना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) को प्रतिवादी संख्या–1 (साजिद अली) की फर्म होटल कबीर द्वारा मैसर्स अमेनिटी ट्रेडर्स से क्रय किया था जो कि प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म अमेनिटी ट्रेडर्स द्वारा खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) को प्रतिवादी संख्या–3 (गोहिल दिपक चन्दूभाई) की फर्म Indo Brine Industries Ltd. से क्रय किया था, जो खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी है कि निर्माता फर्म Indo Brine Industries Ltd. के प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या–3 (गोहिल दिपक चन्दूभाई) है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–3 (गोहिल दिपक चन्दूभाई) की फर्म Indo Brine Industries Ltd. द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमकर (दाण्डी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म Indo Brine Industries Ltd. ही दोषी एवं उत्तरदायी है। ......लगातार	

न्यायालय प्रा० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.121/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या–3 सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमक (दाण्डी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी गोहिल दिपक चन्दूभाई, प्रोपराईटर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, निर्माता फर्म Indo Brine Industries Ltd., Survey No. 282, Vill.-Chopadava, NH-8A, Ta.-Bhachau, Dist.-Kutch (Gujrat)) पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मिथ्याछाप सामग्री का निर्माण, पैकिंग व विक्रय नही करे। प्रतिवादी गोहिल दीपक चन्दूभाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म Indo Brine Industries Ltd., Survey No. 282, Vill.-Chopadava, NH-8A, Ta.-Bhachau, Dist.-Kutch (Gujrat)) को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबित निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.1.2024 को पेश हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested